हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 जनवरी, 1999

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 28 जनवरी, 1999

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण	(1) 1
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)16
शोक प्रस्ताव	
घोषणाएं—	
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा—	
(i) चेयरपर्सनज के नामों की सूची	(1)26
(ii) याचिका समिति	(1)26
(ख) सचिव द्वारा—	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1)26
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(1)27
बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1)28
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र	(1)35
विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(1)37
(i) श्री भजन लाल, भूतपूर्व एम०एल०ए० (अब सांसद) के विरुद्ध	(1)37
(ii) इंडियन ऐक्सप्रैस के संवाददाता, संपादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध	(1)38

मूल्य : 73

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 28 जनवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 15.27 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 P.M. today, the 28th January, 1999, under Article 176 (1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, हम 'राष्ट्रपिता' महात्मा गाँधी की शहादत की 50वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। गत वर्ष 30 जनवरी को मैंने राज्य स्तरीय सघन सफ़ाई अभियान का शुभारम्भ भी किया था, जिसे पूरा वर्ष जारी रखा गया। इस वर्ष 30 जनवरी को पलवल में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जलियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात् अमृतसर जाते हुए महात्मा गाँधी जी को गिरफ्तार किया गया था। इसी स्थान पर गाँधी जी की स्मृति में एक सार्वजनिक पार्क का विकास किया जा रहा है।

इसी तिथि को राज्य के शहरी क्षेत्रों में "हरियाणा अजैव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1998' भी लागू किया जायेगा। इस अधिनियम में सार्वजनिक जल निकास प्रणाली में सामग्री फेंकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने तथा पॉलिथीन की थैलियों, दूध की थैलियों और रसायनिक अपशिष्ट के अविवेकपूर्ण निपटान को रोकने का प्रावधान है। रंगदार पुनर्निर्मित पॉलिथीन की थैलियों के उपयोग पर भी इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।

लोकपाल

माननीय सदस्यगण, भ्रष्टाचार का अभिशाप हमारी राज्य-व्यवस्था तथा प्रशासकीय मशीनरी के मूलाधार को नष्ट कर रहा है। मेरी सरकार ने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता सुनिश्चित करने पर सदैव सबसे अधिक बल दिया है तथा इस बुराई को रोकने के लिए दृढ़-संकल्प है। इस उद्देश्य के मद्देनज़र,

[श्री अध्यक्ष]
भ्रष्टाचार जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए मेरी सरकार ने लोकपाल की संस्था का सृजन कर, हरियाणा लोकपाल अधिनियम, 1997 की धारा 3 के अन्तर्गत लोकपाल की नियुक्ति भी कर दी है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, इस गरिमामय सदन ने लोकपाल को बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं। यहाँ तक कि राज्य में उच्चतम पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिनमें मुख्य मन्त्री, मन्त्रीगण, विधायक, ज़िला परिषदों के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी अधिकारी शामिल हैं, के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है।

बिजली

राज्य की बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण प्रणाली अपर्याप्त निवेश के कारण पूर्णतः अस्त-व्यस्त थी। मेरी सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था में सुधार करने के लिए भरसक प्रयास किये हैं।

बिजली उत्पादन के क्षेत्र में वर्ष 1995-96 तक की अपनी कुल 863 मैगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की तुलना में मेरी सरकार ने अगले 18 महीनों में लगभग 1200 मैगावाट और बिजली उत्पादन करने के लिए कई ठोस उपाय किये हैं। 210 मैगावाट पानीपत तापीय बिजली संयन्त्र यूनिट-6, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम का फरीदाबाद में 432 मैगावाट का गैस-आधारित बिजली संयन्त्र, निजी क्षेत्र में 300 मैगावाट की तरल-ईंधन क्षमता, पानीपत तापीय बिजलीघर में 270 मैगावाट बिजली उत्पादन की बढ़ौतरी और भाखड़ा बिजलीघरों का नवीकरण तथा कार्यक्षमता की अवधि बढ़ाना कुछेक ऐसी परियोजनाएं हैं, जिन पर काम किया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा यमुनानगर की तापीय बिजली परियोजना को पुनः आरम्भ किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यमुनानगर में 500 मैगावाट वाले तापीय बिजली उत्पादन केन्द्र के लिए स्वतन्त्र बिजली उत्पादक (आई०पी०पी०) के चयन हेतु विश्व-निविदाएँ आमन्त्रित की गई थीं। इन्हें अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना पर कार्य आरम्भ हो जायेगा। इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पानीपत में 301 मैगावाट का एक अन्य बिजली संयन्त्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें पानीपत रिफायनरी के अवशिष्ट ईंधन को इस्तेमाल किया जाएगा और यह बिजली पूर्णतया हरियाणा के लिए होगी। अंटा, औरैया, ऊँचाहार और रिहंद की विस्तार परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम के साथ दीर्घावधि बिजली खरीद संविदाओं पर हस्ताक्षर किये गये हैं। आगामी 2-3 वर्षों में इनसे हरियाणा राज्य को 300 मैगावाट बिजली मिलेगी।

वर्ष 1998-99 के दौरान पारेषण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में और तेज़ी लायी गई। रोहतक में एक नया 220 के०वी० वाला उप-केन्द्र, अम्बाला छावनी के औद्योगिक क्षेत्र में 66 के०वी० वाला उप-केन्द्र, धर्मगढ़, द्वारका, जसोरखेड़ी, भिवानी रोहिला, अम्बाला छावनी, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, टूयोन्था, मॉडल टाऊन, रिवाड़ी में 33-33 के०वी० वाले 8 नये बिजली उप-केन्द्रों को शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त 220 के०वी० वाले 6 उप-केन्द्रों, 132 के०वी० वाले 9 उप-केन्द्रों, 66 के०वी० वाले 4 उप-केन्द्रों और 33 के०वी० वाले 10 उप-केन्द्रों की क्षमता में संवर्धन किया गया है।

इस दिशा में किये गये भरसक प्रयत्नों के परिणाम अब नज़र आने लगे हैं। गत वर्ष के दौरान प्रतिदिन 348 लाख यूनिट की बिजली उपलब्धता के मुकाबले इस वर्ष प्रतिदिन 371 लाख यूनिट बिजली की उपलब्धता हुई, जोकि 6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि रही।

बिजली के क्षेत्र में बुनियादी सुधार लाने के लिए मेरी सरकार को देश में अग्रणी माना गया है। इस गरिमामय सदन द्वारा जुलाई, 1997 में हरियाणा बिजली सुधार विधेयक पारित करने के पश्चात् एक स्वतन्त्र हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की स्थापना की गई है और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को अगस्त, 1998 में बिजली उत्पादन और पारेषण, दो अलग-अलग कम्पनियों के रूप में पुनर्गठित किया गया है। वितरण हेतु जिन दो अलग-अलग कम्पनियों की शीघ्र ही स्थापना की जा रही है, वे शुरू में राज्य सरकार की कम्पनियाँ होंगी। इनमें से एक को संयुक्त उद्यम कम्पनी बना दिया जायेगा।

वर्ष 1997-98 में बिजली क्षेत्र में 287 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश की तुलना में इस वर्ष 430 करोड़ का निवेश किया जाएगा जोकि 1999-2000 में बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार वर्ष 1998-99 में किसानों को सहायता-अनुदान के रूप में 364 करोड़ रुपये देगी। यह राशि 1999-2000 में बढ़कर 412 करोड़ रुपये हो जाएगी। अतः विद्युत क्षेत्र में 1999-2000 के दौरान कुल निवेश 912 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। यह निवेश मुख्यतः बिजली पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा ताकि बिजली उपभोक्ताओं को सुनिश्चित रूप से बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली मिल सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व-बैंक से 2400 करोड़ रुपये की कर्ज-सहायता की वचनबद्धता प्राप्त की गई और जनवरी, 1998 में 240 करोड़ रुपये की पहली किस्त स्वीकृत हुई। यह राशि निर्धारित समय के मुताबिक प्राप्त हो रही है। विश्व-बैंक की योजना के तहत सामग्री की प्राप्ति होनी शुरू हो गई है और कार्य निर्माणाधीन है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा

मेरी सरकार का उद्देश्य है कि ऊर्जा के सभी सम्भव स्रोतों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाए। गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य में बिजली की माँग तथा आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने सौर ऊर्जा, बायोमॉस-बेकार वस्तुओं से ऊर्जा, माइक्रो जल विद्युत/लघु जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन हेतु एक लाभदायक विद्युत नीति की घोषणा की है। इस नीति के उत्साहजनक परिणाम नज़र आ रहे हैं और कुछेक समझौतों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

21वीं शताब्दी की तैयारी में मेरी सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास के कार्य को उचित महत्त्व दे रही है।

टिशू-कल्चर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हिसार में 4.97 करोड़ रुपये की कुल लागत से 10 एकड़ भूमि पर एक अनुसंधान तथा अनुप्रयोग परियोजना की स्थापना की जा रही है। पंचकूला में एक राज्य स्तरीय प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबन्धन पद्धति केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इस केन्द्र का कुल परिव्यय 90.80 लाख रुपये है जो भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य द्वारा क्रमशः 75 व 25 के अनुपात से वहन किया जायेगा।

इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी

मेरी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के महत्त्व को पूरी तरह समझती है क्योंकि राज्य के विकास में इसकी एक अहम् भूमिका है। अतः इसके विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। इलैक्ट्रॉनिकी शहर गुड़गांव में हारट्रॉन द्वारा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का विकास

[श्री अध्यक्ष]
किया जा रहा है। हारट्रॉन द्वारा अम्बाला छावनी में उपकरण डिजाइन विकास एवं सुविधा केन्द्र तथा गुड़गांव में इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान विकास एवं सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

बेरोज़गार युवकों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ताकि उन्हें विकासशील इलैक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर क्षेत्रों में रोज़गार मिल सके।

सिंचाई

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार सिंचाई नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने को उच्च प्राथमिकता देती है। नहरों के अन्तिम छोर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई जलमार्गों से समय पर घास-पात तथा गाद निकालने का कार्य किया गया है। नहर पद्धति को आधुनिक बनाया जा रहा है तथा जल की चोरी को रोका जा रहा है ताकि नहरी पानी सभी लाभार्थियों को प्राप्त हो सके। उठान सिंचाई स्कीमें, जिनको पम्प गृहों के खराब होने के कारण तथा जलमार्गों में गाद भरने के कारण नुकसान हो रहा था, को क्रमबद्ध तरीके से पम्पों की अत्यधिक मरम्मत करके तथा जलमार्गों की गाद निकाल कर और उनकी खुदाई करके उन्हें कार्य करने योग्य बनाया गया है।

माननीय सदस्यगण, इन उपायों की वजह से सिंचाई क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। ये क्षेत्र वर्ष 1997-98 के दौरान बढ़कर 21.93 लाख हैक्टेयर हो गया, जो कि एक कीर्तिमान है। यह वर्ष 1995-96 के दौरान सिंचित क्षेत्र से 2.43 लाख हैक्टेयर अधिक है। मेरी सरकार पंजाब में सतलुज-यमुना-योजक नहर के पूरे न होने पर अत्यधिक चिन्तित है और इसके लिए निरन्तर केन्द्र सरकार पर दबाव डाल रही है। हम निरन्तर प्रयास करेंगे कि हरियाणा राज्य को न्याय मिले। मेरी सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 45 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है।

राज्य को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए जल निकास प्रणाली को पूर्णतः ठीक करके उसमें क्रमिक सुधार लाया जा रहा है। मेरी सरकार ने जल निकास और बढ़ते जल-स्तर की समस्या का अध्ययन करने हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो कि सक्रिय रूप से विचाराधीन है। मेरी सरकार इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु महत्त्वाकाँक्षी कार्यक्रम तैयार कर रही है।

विश्व-बैंक सहायता प्राप्त "जल संसाधन समेकन परियोजना" के अन्तर्गत संरचनाओं का पुनर्निर्माण, नहर-प्रणाली का आधुनिकीकरण, हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण तथा उप-सतही जल-निकास के लिए मार्गदर्शी स्कीमों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

हथनीकुण्ड बैराज, जो कि एक शताब्दी पुराने ताजेवाला हैडवर्क्स का स्थान लेगा, का निर्माण-कार्य मेरी सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 1996 को शुरू किया गया था और इस कार्य को अब तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। इस महत्त्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय परियोजना के 219.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जून, 1999 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने पूरे राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने और बाढ़-संभावित क्षेत्रों में जल निकास में सुधार करने के लिए कुल चार ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनकी कुल लागत 212.40 करोड़ रुपये होगी।

राज्य सरकार ने रिवाड़ी उठान सिंचाई स्कीम को नाबार्ड से अनुमोदित करवाने के लिए भी विशेष प्रयत्न किए हैं। नाबार्ड इस कार्य के लिए 39.60 करोड़ रुपये उपलब्ध करवायेगा। इससे अहीरवाल की जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी, जोकि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उपेक्षित की जाती रही हैं। 99 गाँवों में फैला 78,790 एकड़ का भू-भाग इस स्कीम से सिंचाई अधीन आ जाएगा।

माननीय सदस्यगण, पंजाब में बहने वाली भाखड़ा मुख्य नहर और नरवाना शाखा द्वारा हरियाणा के हिस्से का जल लाया जाता है। हरियाणा सम्पर्क स्थल पर इन जलमार्गों की जल-वाहन-क्षमता 10,700 से घटकर 9,100 क्यूसेक रह गई है। अतः पंजाब को इन जलमार्गों के आवर्धन/मरम्मत निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है तथा इसके लिए उसे 10.84 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, बी०एम०एल० की जल-क्षमता लगभग 1000 क्यूसेक तथा नरवाना शाखा की जल-क्षमता 600 क्यूसेक बढ़ जायेगी।

कृषि

माननीय सदस्यगण, प्रगतिशील कृषि के लिए हरियाणा का देश में प्रमुख स्थान है।

वर्ष 1998-99 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 118.50 लाख टन रखा गया है, जिसमें 34.50 लाख टन खरीफ के लिए और 84 लाख टन रबी फ़सल के लिये है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि उपयोगी पदार्थों की समय पर आपूर्ति हेतु क्रमबद्ध सुधार किये जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में खरीफ 1998 के दौरान विभिन्न फ़सलों के 98 हज़ार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये जबकि पिछली खरीफ की फ़सल के दौरान 87 हज़ार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये थे। रबी 1998-99 के दौरान विभिन्न रबी फ़सलों के 2.96 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों में वितरित किये गये जबकि पिछले रबी मौसम के दौरान 2.26 लाख क्विंटल बीज वितरित किये गये थे। खरीफ 1998 के दौरान उर्वरक खपत 3.29 लाख मीट्रिक टन (पोषक तत्व) रही और रबी 1998-99 के दौरान खपत 5.21 लाख मीट्रिक टन (पोषक तत्व) के एक नये शिखर को छूने की सम्भावना है।

अक्तूबर, 1998 मास में हुई बे-मौसमी वर्षा तथा तेज़ हवाओं के कारण खरीफ फ़सलों की भावी पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा राज्य में उत्पादन घट कर 29.77 लाख टन रह गया। लगातार वर्षा के कारण कपास की फ़सल को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे 15 लाख गाँठों के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में इसका उत्पादन घटकर लगभग 8.63 लाख गाँठें हुआ। इसी प्रकार गन्ने का उत्पादन (गुड़ के मामले में) 7.20 लाख टन होने की संभावना है जबकि लक्ष्य 9 लाख टन था।

तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक क्षेत्र में रबी फसल की बुवाई हुई है। राज्य को चालू रबी मौसम में खाद्यान्नों के उत्पादन में 84 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की आशा है। खरीफ और रबी को मिला कर चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 114.42 लाख टन होने की आशा है।

अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए चालू वर्ष के दौरान फास्फेटयुक्त उर्वरकों पर 150 करोड़ रुपये की राशि उपदान के रूप में दी जायेगी, जबकि वर्ष 1997-98 के दौरान यह राशि केवल 127.85 करोड़ रुपये थी। खरीफ 1998 के दौरान 718.28 करोड़ रुपये तक के फ़सली कर्ज़े दिये गये, जबकि खरीफ 1997 के दौरान 609.04 करोड़ रुपये के कर्ज़े वितरित किये गये थे। चालू रबी मौसम के दौरान 781.70 करोड़ रुपये के फ़सली कर्ज़े वितरित किये जायेंगे जबकि रबी 1997-98 के दौरान वास्तविक रूप से 625.31 करोड़ रुपये के कर्ज़ों का वितरण किया गया था।

[श्री अध्यक्ष]

बाग़बानी

मेरी सरकार, फलों और सब्जियों तथा फूलों और खुम्बी के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। फलों के तहत बागबानी क्षेत्र तथा उत्पादन वर्ष 1997-98 के अन्त तक क्रमशः 23,800 हैक्टेयर तथा 1.76 लाख टन से बढ़कर वर्ष 1998-99 के अन्त तक क्रमशः 25,800 हैक्टेयर तथा 1.90 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। सब्जियों के अधीन भी क्षेत्र तथा उसका उत्पादन बढ़ा है। वर्ष 1997-98 के अन्त तक एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र तथा 13.50 लाख टन उत्पादन के मुकाबले वर्ष 1998-99 के दौरान सब्जियों के अधीन 1.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाने तथा उनके 16.50 लाख टन उत्पादन का कार्यक्रम है।

वर्ष 1997-98 के अन्त तक खुम्बी की पैदावार बढ़ कर 2680 टन हो गई। वर्ष 1998-99 का उत्पादन लक्ष्य 3200 टन है। वर्ष 1998-99 के दौरान फूलों की खेती अधीन क्षेत्र बढ़ कर 2200 हैक्टेयर हो जाने की सम्भावना है। किसानों में ग्रीन-हाऊस प्रौद्योगिकी लोकप्रिय हो रही है और वर्ष 1997-98 के अन्त तक 106 ग्रीन-हाऊस बना लिये गये हैं।

सार्वजनिक वितरण-प्रणाली

राज्य में सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के अन्तर्गत 7,695 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। राज्य में कुल 34,11,548 राशन कार्ड धारक हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के नये राशन कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है और यह कार्य 15 अप्रैल, 1999 तक पूरा हो जायेगा। लगभग 7 लाख ऐसे राशन कार्ड बनने की सम्भावना है। मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए, काला-बाज़ारी और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।

सहकारिता

राज्य के सहकारिता क्षेत्र में सामान्य कृषि एवं कृषि सम्बन्धी उद्योगों के अतिरिक्त चीनी मिल, डेरी विकास जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं।

वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में सहकारी चीनी मिलों को उनके उत्पादन के विरुद्ध 204 करोड़ रुपये की नकद उधार सीमा को मंजूरी दी गई है।

वर्ष 1998-99 के दौरान फ़सली ऋण (खरीफ एवं रबी) तथा अन्य अल्पावधि ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 1293.48 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1802 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। अल्पावधि फ़सली ऋण की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है।

दुग्ध समितियों द्वारा अप्रैल, 1997 से नवम्बर, 1997 के दौरान दुग्ध की अधिप्राप्ति 348.61 लाख लिटर की गई जो वर्ष 1998 में इसी अवधि के दौरान बढ़ कर 435.18 लाख लिटर हो गई। उपयोगिता क्षमता 67.9 प्रतिशत से बढ़ कर 80.3 प्रतिशत हो गई है। दुग्ध उत्पादकों की गत वर्ष की औसत संख्या 35,648 से बढ़कर चालू वर्ष में 48,965 हो गई है।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संघ द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को हाल ही में वर्ष 1997-98 के दौरान अपने प्रकृष्ट कार्यों के लिए विजयोपहार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी शिखर

बैंक लिमिटेड को हाल ही में वर्ष 1996-97 के दौरान अपने समूचे कार्यों के लिए देश का तीसरा सर्वोत्तम बैंक घोषित किया गया है।

पशुपालन

गाय की 'हरियाना' और 'साहीवाल' तथा भैंस की मुर्रा नस्लें राष्ट्रीय पशुधन का गौरव हैं। गाय की 'हरियाना' और 'साहीवाल' नस्लों की रक्षा और उनमें सुधार लाने के लिये मेरी सरकार ने राज्य भर में 22 गौशालाओं को सुदृढ़ किया है, जिन पर 1.10 करोड़ रुपये खर्च हुये हैं। अधिकतम दुग्ध उत्पादक मुर्रा भैंसों के मालिकों को प्रोत्साहन देने तथा मुर्रा कटड़ों को खरीदने के लिये एक विशेष स्कीम शुरू की गयी है। इस प्रयोजनार्थ चालू वित्त वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

विभाग को उच्च प्रौद्योगिकी युक्त बनाया जा रहा है और वर्तमान 1400 संस्थाओं में हिमीकृत वीर्य सुविधा को बढ़ा कर राज्य की सभी 2217 पशु संस्थाओं में उपलब्ध करवाया जा रहा है। 'इम्ब्रॉय अन्तरण प्रौद्योगिकी' वर्ष 1998-99 की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

मत्स्य पालन

मत्स्य पालन राज्य में एक नये और उत्साहवर्धक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में मछली के विक्रय के काम में सुधार लाने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मत्स्य पालन को कृषि का अभिन्न अंग बनाने के अतिरिक्त प्रायोगिक आधार पर स्वच्छ जल झींगा मछली उत्पादन में महत्त्वपूर्ण प्रगति की जा रही है।

उद्योग

औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में हरियाणा एक अग्रणी राज्य है। भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण तथा लाइसेन्स समाप्त करने की नीति के आरम्भ होने से अब तक हरियाणा में औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए 2177 औद्योगिक उद्यमकर्त्ताओं के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनसे 22,715 करोड़ रुपये का निवेश होने की सम्भावना है। इन में से 969 औद्योगिक उद्यमकर्त्ताओं के ज्ञापनों को वस्तुतः क्रियान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1997-98 में राज्य का निर्यात 2,961 करोड़ रुपये का था, जोकि आगामी वर्ष में 3000 करोड़ रुपये से भी बढ़ जायेगा।

माननीय सदस्यगण, राज्य में औद्योगिक विकास की गति तेज करने हेतु मेरी सरकार ने औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीति में सुधार किया है। अब उच्च तथा मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक निवेश और निम्न क्षमता वाले क्षेत्रों में 3 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं को तुरन्त प्लॉट अलॉट करने का उपबन्ध किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत प्लॉटों की अलॉटमैंट या हस्तांतरण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम मानेसर में प्रतिष्ठित आधुनिक औद्योगिक टाऊनशिप के विकास के अतिरिक्त अन्य महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के विकास में कार्यरत है। बावल फेज़-I विकास केन्द्र पूरा कर लिया गया है तथा फेज़-II में चालू वर्ष में 500 एकड़ को विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। साहा, जिला अम्बाला में 1000 एकड़ क्षेत्र में एक विकास केन्द्र दो चरणों में स्थापित किया जा रहा है। गन्नौर के निकट बारही में 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में हौजरी केन्द्र का विकास किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जगाधरी के निकट मानकपुर में एक औद्योगिक सम्पदा का विकास किया जा रहा है।

[श्री अध्यक्ष]

इसके अतिरिक्त आगामी वित्त वर्ष के दौरान पलवल में एक नई औद्योगिक सम्पदा स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1999-2000 के दौरान और 2000 लघु औद्योगिक इकाइयाँ और 40 बड़ी तथा मध्यम इकाइयाँ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण

पर्यावरण की स्वच्छता बनाये रखने के लिए मेरी सरकार सर्वाधिक चिन्तित है।

इस कार्य के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड के निर्देश पर 912 औद्योगिक इकाइयों ने मल-शोधन संयन्त्र लगाए हैं तथा 904 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र लगाए गये हैं।

फरीदाबाद के अतिरिक्त, पर्यावरण अपराधों से सम्बन्धित अदालती मामलों का तुरन्त निपटान सुनिश्चित करने के लिए हिसार में एक नामित पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया है, जिसका कैम्प न्यायालय करनाल में है।

वन तथा सामाजिक वानिकी

चालू वित्त वर्ष के दौरान 51.10 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 18,000 हैक्टेयर भूमि में वनरोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1998-99 से यूरोपीय संघ सहायता प्राप्त 'हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना' को वर्ष 1998-99 से 126 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत 27,380 हैक्टेयर पंचायत भूमि, रेत के टीलों को रोकने हेतु और फार्म भूमि पर वनरोपण का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों तथा समाज के अभावग्रस्त वर्गों जैसे अनाथ, निराश्रित बच्चों, परित्यक्त एवं निराश्रित महिलाओं तथा उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कीमें बनाई हैं। इन स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 1999-2000 के लिए 115.26 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन नियमित रूप से वितरित की जा रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान बाल कल्याण तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए 2.07 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम सभी 111 ग्रामीण तथा 5 शहरी खण्डों में लागू की जा रही है। मेरी सरकार, वर्ष 1998-99 के दौरान 12.25 लाख बच्चों तथा दूध पिलाती माताओं को अनुपूरक पोषण देने के लिए लगभग 31.33 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वर्ष 1999-2000 में 60,000 लड़कियों को 'अपनी बेटी अपना धन' स्कीम के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला और अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राई, जिला सोनीपत में महिला जागृति एवं प्रबन्ध अकादमी नामक एक राज्य प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 2500 लाभानुभोगियों को इसके अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

16.88 करोड़ रुपये की कुल लागत से ग्रामीण महिला अधिकारिता एवं विकास परियोजना ज़िला सोनीपत में शुरू की गई है जिसे जीन्द और भिवानी जिलों में भी आरम्भ किया जाएगा।

मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है। विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ, शिक्षण-शुल्क में छूट, परीक्षा-शुल्क की वापसी, लेखन-सामग्री खरीदने के लिए अनुदान, विज्ञान, गणित तथा अंग्रेज़ी विषयों में विशेष अनुशिक्षण, मैट्रिकोत्तर/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन तथा पुस्तकें खरीदने के लिए व्याज-मुक्त ऋण दिये गये हैं। वर्ष 1999-2000 के लिए इन स्कीमों हेतु 12.68 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव है। नवम्बर, 1998 तक अनुसूचित जाति के 34,658 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का, अनुसूचित जातियों के 12,600 व्यक्तियों को 37.88 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम, विभिन्न आय जुटाने वाली स्कीमों के लिए पिछड़े/अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित परिवारों के 4000 व्यक्तियों को 11.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधा के अनुरूप पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विशेष अनुशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

राजस्व

राज्य को अक्तूबर, 1998 के महीने में बे-मौसमी और अत्यधिक वर्षा के प्रकोप का सामना करना पड़ा। इससे फ़सलों को व्यापक हानि हुई। प्रभावित ज़िलों में जल-निकासी का काम तुरन्त युद्ध-स्तर पर किया गया। लगभग दो मास की अल्पावधि में 2.93 लाख एकड़ भूमि से पानी निकाल दिया गया, जबकि शुरू में 3.12 लाख एकड़ भूमि जल में डूबी हुई थी। विशेष सहायता लेने के लिए भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया गया, जिसने क्षति का जायज़ा लेने के लिए केन्द्रीय अधिकारियों का एक दल भेजा। आशा की जाती है कि भारत सरकार इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लेगी।

मेवात क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की वित्तीय सहायता से मेवात विकास बोर्ड द्वारा एक नवीन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेवात विकास बोर्ड के लिए 75.61 करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है।

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवालिक विकास बोर्ड के लिए 31.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिवालिक विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित की जाने वाली विभिन्न विकास स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 1998-99 में 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लघु सचिवालय एवं न्यायिक परिसर

माननीय सदस्यगण, सरकारी कार्यालयों के विभिन्न स्थानों पर बिखरे होने के कारण नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार लघु सचिवालयों और न्यायिक परिसरों के निर्माण के कार्य तेज़ी से कर रही है। कैथल के लघु सचिवालय का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है तथा रिवाड़ी, रोहतक, करनाल और यमुनानगर के लघु सचिवालयों का निर्माण-कार्य चल रहा है। पंचकूला के लघु सचिवालय का प्रशासकीय ब्लॉक और अम्बाला के फेज़-II का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और इनमें ज़िला कार्यालयों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इससे पूर्व राज्य सरकारों द्वारा नये ज़िले तो बना दिए जाते थे परन्तु वहां पर लघु सचिवालयों तथा न्यायिक परिसरों जैसी आधारभूत सुविधाएं जुटाने की

[श्री अध्यक्ष]
और कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन मेरी सरकार ने झज्जर और फतेहाबाद के नये जिलों में लघु सचिवालयों का निर्माण-कार्य तुरन्त ही आरम्भ कर दिया है। वर्ष 1998-99 के दौरान लघु सचिवालयों के निर्माण हेतु 4.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 1999-2000 के लिए इस कार्य हेतु 6.45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। एक नवीन सरकारी भूमि स्कीम के तहत करनाल, रोहतक तथा फरीदाबाद में लघु सचिवालयों के निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सहायता ली गई है। न्यायिक परिसरों के निर्माण हेतु चालू वर्ष के दौरान 9.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन निधियों के अतिरिक्त भारत सरकार को भी कम से कम 10 करोड़ रुपये का मैचिंग हिस्सा देने के लिए आग्रह किया गया है ताकि न्यायिक परिसरों का निर्माण तेज़ी से पूरा हो सके। यमुनानगर, रिवाड़ी, पंचकूला, कैथल, करनाल, लोहारू तथा सफीदों के न्यायिक परिसरों का निर्माण-कार्य चल रहा है तथा अम्बाला और रोहतक न्यायिक परिसरों के निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

कानून एवं व्यवस्था

माननीय सदस्यगण, समूचे राज्य में शांति, खुशहाली तथा सामाजिक भाई-चारे का वातावरण बना रहा है। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने को मेरी सरकार उच्चतम प्राथमिकता देती है। मेरी सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उपाय किए गये हैं। इसके फलस्वरूप पुलिस ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

योजना

वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना के लिए 2300 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जो कि वर्ष 1998-99 के 1800 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय पर 27.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

परिवहन

1999-2000 की वार्षिक योजना में 40 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 526 बसें बदली जाएंगी। निजीकरण स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत परिवहन सहकारी समितियों को योजक मार्गों पर बसें चलाने के लिये 950 स्टेज कैरिज परमिट जारी किये गये। शिक्षित युवाओं को स्व-रोज़गार के अधिक अवसर जुटाने के विचार से मेरी सरकार ने बेरोज़गार युवाओं की सहकारी समितियों को राज्य में 125 किलोमीटर तक के मार्गों के लिये परमिट देने का निर्णय लिया है। परमिट देने में विभिन्न श्रेणियों को उसी प्रकार आरक्षण दिया जाएगा जिस प्रकार सरकारी सेवा में भर्ती के समय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने राज्य में चलने वाले मैक्सी-कैब वाहनों को समूचे राज्य में चलाने हेतु संविदा वाहन परमिट देकर विनियमित करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम

मेरी सरकार का विद्यालय सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने तथा शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का मुख्य लक्ष्य रहा है।

इस समय राज्य में 10,134 प्राथमिक, 1718 मिडल, 2575 उच्च तथा 942 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 17.25 लाख लड़कियों सहित कुल 39.02 लाख बच्चे दाखिल हैं। माननीय सदस्यगण, यह गर्व की बात है कि सभी जिलों में लड़कियों के दाखिलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के उत्थान तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की प्रोत्साहन स्कीमें आरम्भ की गई हैं।

पूर्ण साक्षरता अभियान सभी ज़िलों में चलाया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता आयोग द्वारा ज़िला सोनीपत, कुरुक्षेत्र तथा रिवाड़ी के कार्यक्रमों के परिचालन/बहाली का अनुमोदन कर दिया गया है। साक्षरता के बाद के कार्यक्रमों को पंचकूला तथा जींद ज़िलों में शुरू किया गया है। मध्याह्न-भोजन स्कीम सभी 111 सामुदायिक विकास खण्डों तथा शहरी क्षेत्रों में चलायी जा रही है।

शिक्षण पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा की सीटें बढ़ा कर 3610 कर दी गई हैं और ओ०टी० पाठ्यक्रमों में कुल 850 सीटें हैं।

मोरनी पहाड़ियों तथा मेवात क्षेत्र में स्थानीय अध्यापकों की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत शिवालिक विकास बोर्ड तथा मेवात विकास एजेन्सी को शिक्षण पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा के लिए प्रत्येक को 50-50 के ग्रुपों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्रायोजित करने के लिए अनुमति दी गई है।

मेरी सरकार विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। इस दिशा में उठाए गये कदमों में शैक्षणिक पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना, अविरत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को लागू करना तथा विद्यालयों की गतिविधियों में बच्चों के माता-पिता से सहयोग लेना भी शामिल है। विद्यालयों में मूल्यों पर आधारित शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए भी उपाय किए गये हैं।

हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी और हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य में साहित्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं।

माननीय सदस्यगण, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने शिक्षा सुविधाओं को समेकित करने और उनका विस्तार करने हेतु ठोस कदम उठाए हैं। वर्ष 1998-99 में एक सरकारी तथा 4 गैर-सरकारी महाविद्यालय खोले गये हैं। चालू वर्ष 1998-99 के लिये गैर-सरकारी महाविद्यालयों के अनुरक्षण हेतु 67.64 करोड़ रुपये का बजट उपबन्ध है। वर्ष 1998-99 में विश्वविद्यालयों को देने के लिए 43.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1998-99 में 30 गैर-सरकारी सम्बद्ध महाविद्यालयों में 40 नये पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है।

नगरपालिका प्रशासन

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेहतर तथा स्वस्थ नगरीय सुविधाएँ देने के लिए वचनबद्ध है। वर्ष 1998-99 के दौरान इसके लिए 25 करोड़ रुपये का परिव्यय है। वर्ष 1998-99 के दौरान शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सम्बन्धी सुधार के लिए 4.95 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है और वर्ष 1999-2000 के दौरान इस स्कीम के लिए 6 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य के हिस्से के रूप में 1.24 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है जिसे छोटे तथा मध्यम नगरों के एकीकृत विकास के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए बढ़ा कर 1.50 करोड़ रुपये किया गया है। तदर्थ राजस्व अर्जन स्कीम के अन्तर्गत 1999-2000 के दौरान एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम के लिए वर्ष 1998-1999 के दौरान 4.69 करोड़ रुपये का प्रावधान है जोकि वर्ष 1999-2000 के दौरान बढ़ा कर 5.14 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान शहरी ठोस कूड़ा-करकट के प्रबन्धन के लिए 1.22 करोड़ रुपये

[श्री अध्यक्ष]

की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1998-99 के दौरान कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को 5.34 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

शहरी क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के ग्रुपों को आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना आरम्भ की गई है।

जन-स्वास्थ्य

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राज्य के अधिक से अधिक गाँवों में प्रतिदिन 40/55 लिटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेयजल सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लगभग उन 1050 गाँवों में व्यक्तिगत घरेलू कनैक्शन दिये जा रहे हैं, जहाँ प्रतिदिन 70 लिटर या अधिक प्रति व्यक्ति जल सप्लाई उपलब्ध है। लगभग 30,000 ऐसे जल सप्लाई कनैक्शन दिये जा चुके हैं। नयी योजनागत स्कीम के अन्तर्गत मेरी सरकार का पूरे राज्य में कुछ चुने हुए मध्यम आकार के गाँवों में ग्रामीण सफाई स्कीम आरम्भ करने का प्रस्ताव है। यमुना कार्य-योजना स्कीम के अन्तर्गत फरीदाबाद एवं गुड़गांव में दो मल-शोधन संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं तथा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत तथा फरीदाबाद नगरों में बाकी 9 शोधन संयंत्र जून, 1999 तक चालू हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, इन्दरी, गढ़ौर, छछरौली, घरौंडा, गोहाना और पलवल नगरों में भी मार्च 2000 तक इस स्कीम को चालू कर दिया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल

मेरी सरकार हरियाणा के लोगों को बुनियादी तथा विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने को प्राथमिकता देती है।

हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने हैपाटाइटिस-बी टीकाकरण को प्रतिरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। 1.50 करोड़ रुपये की लागत से हैपाटाइटिस-बी टीकाकरण की 5 लाख खुराकें प्राप्त कर ली गई हैं। मेरी सरकार, पोलियो रोग के उपशमन के लिए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है।

मेरी सरकार उत्सुक है कि पण्डित भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, रोहतक एक उच्चतम कोटि का परामर्शी अस्पताल के अतिरिक्त शैक्षणिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करे। वर्ष 1999-2000 के दौरान इस संस्थान का ज़रूरत अनुसार विस्तार किया जायेगा। 3.75 करोड़ रुपये की लागत से ट्रोमा ब्लॉक (दुर्घटना सेवा) नामक परियोजना पूर्ण होने वाली है तथा अगले वित्त वर्ष में कार्य करना आरम्भ कर देगी।

आयुर्वेद तथा होम्योपैथी चिकित्सा के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 10 और नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र के निर्माण-कार्य के लिए 25 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार गरीबी-रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की आय में वृद्धि एवं सम्पत्ति अर्जन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। 'एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम'

(आई०आर०डी०पी०), 'ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण' स्कीम (ट्राईसेम) और 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास' (ड्वाकरा) स्कीमें राज्य में अच्छा काम कर रही हैं।

उष्ण-शुष्क क्षेत्र में मरुस्थल विकास कार्यक्रम को रिवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़ जिलों के 10 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा तथा झज्जर के रेतीले शुष्क क्षेत्रों वाले 35 खण्डों में चलाया जा रहा है।

जवाहर रोज़गार योजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार की क्रमशः 80 और 20 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी है। भारत सरकार ने 30.49 लाख श्रम-दिवस जुटाने के लिए लगभग 32.40 करोड़ रुपये अलॉट किये हैं। चालू वित्त वर्ष में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 3258 आवास-गृहों का निर्माण किया गया है और दिसम्बर, 1998 के अन्त तक 3566 आवास-गृहों का निर्माण-कार्य प्रगति पर था। कृषि-मंदी मौसम के दौरान लाभप्रद रोज़गार प्रदान करने हेतु राज्य में 'रोज़गार आश्वासन स्कीम' लागू की जा रही है।

ग्रामीण-स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 1998-99 के दौरान 50,000 साफ-सुथरे शौचालय बनाने का लक्ष्य है। गलियों को पक्का करने, विद्यालयों के कमरे, औषधालयों के निर्माण, ग्रामीण जल-आपूर्ति, ग्रामीण योजक-सड़कों, कम-लागत के शौचालयों, चौपालों आदि जैसे इन्फ्रॉस्ट्रक्चर बनाने हेतु वर्ष 1998-99 में लगभग 56 करोड़ रुपये 'हरियाणा ग्रामीण विकास निधि' में से खर्च किये जायेंगे। 'पंचायती राज संस्थाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम' के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए 20.66 करोड़ रुपये की राशि दिये जाने का प्रस्ताव है।

भवन एवं सड़कें

मेरी सरकार ने वर्ष 1995 और 1996 के दौरान बाढ़ों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों में सुधार करने और उन्हें उन्नत करने की ओर विशेष ध्यान दिया है और चालू वित्त वर्ष में 143.38 करोड़ रुपये का प्रावधान था।

हमें आशा है कि राज्य राजमार्ग उन्नयन हेतु विश्व बैंक परियोजना, जिसके सम्बन्ध में बात-चीत की जा चुकी है, को आगामी वित्त वर्ष में मंज़ूरी मिल जायेगी। वर्ष 1999-2000 के लिए 400 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है, जिस दौरान 65 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण तथा 2520 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों के सुधार का प्रस्ताव है।

बिल्ड, ऑप्रेट, ट्रांसफर (बी०ओ०टी०) प्रणाली के अन्तर्गत फरीदाबाद में रेलवे ओवर-ब्रिज को स्वीकृत किया जा चुका है। बी०ओ०टी० सिद्धान्त पर आधारित और परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिनसे राज्य में सड़क-अवस्थापना-नेटवर्क के सुधार को और अधिक बल मिलेगा। इनमें कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त दो-मार्गी रेलवे ओवर-ब्रिज, गुड़गांव-फरीदाबाद सड़क, यमुनानगर-छछरौली से बूरी-देवधर सड़क, करनाल बाई-पास से मेरठ को जाने वाली हरियाणा के हिस्से की सड़क का सुधार तथा पलवल-अलीगढ़ सड़क पर पलवल में रेलवे ओवर-ब्रिज का निर्माण शामिल है।

अम्बाला-पेहोवा-हिसार-राजगढ़ सड़क, जो एक राज्य-राजमार्ग था, को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के आग्रह पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 घोषित किया गया है। हमारे राज्य में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 242 किलोमीटर लम्बा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसके अतिरिक्त 5 अन्य राज्य-राजमार्गों अर्थात् पिंजौर-बद्दी (नालागढ़-स्वारघाट), रोहतक-गोहाना-पानीपत, रुड़की (राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर)-

[श्री अध्यक्ष]

सहारनपुर-यमुनानगर-साहा-पंचकूला, जलन्धर-मोगा-बरनाला-संगरूर-नरवाना-रोहतक-झज्जर-बावल और अम्बाला (नाहन-पौंटा साहिब-देहरादून-ऋषिकेश) हरिद्वार को केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। इनकी लम्बाई हमारे राज्य में 448 किलोमीटर है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 पर बहादुरगढ़-रोहतक क्षेत्र तक की सड़क को चार-मार्गी बनाने के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर पानीपत में एक उन्नत राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है।

कुण्डली से समालखा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 को प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित एक्सप्रैस-वेज़ परियोजना के अन्तर्गत उन्नत कर छः मार्गी बनाया जायेगा। प्रथम चरण में हरियाणा में कुण्डली सीमा से 15 किलोमीटर का निर्माण किया जायेगा।

राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप में हरियाणा राज्य सड़क अवस्थापना विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निगम, निजी एवं निगमित क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से अवस्थापना विकास परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वियन सुनिश्चित करेगा।

पर्यटन

हरियाणा पर्यटन जो कि राजमार्ग-पर्यटन के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है, पर्यटकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, पेहोवा में 'यात्रिका' का निर्माण पूरा होने वाला है और हांसी में एक नये पर्यटक केन्द्र की निकट भविष्य में सेवा आरम्भ करने की सम्भावना है।

अपनी साँस्कृतिक धरोहर के उत्थान के लिए वल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह किला महल को पर्यटक स्थल के रूप में नवनिर्मित किया गया है। फरवरी, 1999 में सूरजकुण्ड शिल्प मेले के आयोजन की तैयारियाँ की जा रही हैं। हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन उन्नयन की संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत ज़िला महेन्द्रगढ़ के माधोगढ़ में हैरीटेज होटल, सोहना में हैल्थ क्लब और उचाना में अम्यूज़मैंट पार्क सम्बन्धी परियोजनाओं का प्रस्ताव है।

खेल-कूद

भारत सरकार की आंशिक सहायता से लगभग 8.43 करोड़ रुपये की लागत से फरीदाबाद में एक आधुनिक खेल-कूद केन्द्र विकसित किया जा रहा है। तेजली (यमुनानगर) में एक खेल-कूद केन्द्र उभर रहा है। नारनौल में एक खेल-कूद स्टेडियम बन कर तैयार होने वाला है तथा सिरसा में एक बहुद्देशीय अन्तरंग स्टेडियम शीघ्र ही मुकम्मल होने वाला है। पलवल, झज्जर तथा बहादुरगढ़ में स्टेडियम बनाने की योजना है।

श्रम तथा रोज़गार

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का यह विश्वास है कि उद्योग-श्रम के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध औद्योगिक विकास के लिए सहायक हैं। राज्य में औद्योगिक शान्ति का वातावरण बन रहा है। अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मज़दूरी पहली जुलाई, 1998 से 1729.54 रुपये प्रति मास कर दी गई है, जोकि इस क्षेत्र की सबसे अधिक में से एक है।

मेरी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा (ई०एस०आई०) का एक नया निदेशालय श्रम विभाग के अधीन स्थापित किया है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों को स्वास्थ्य विभाग के

नियन्त्रण से पृथक् करके श्रम विभाग के अधीन किया गया है। इससे औद्योगिक कामगारों की चिर-प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है और उपकरणों तथा मशीनरी के उन्नयन, दवाइयों की आपूर्ति तथा चिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का स्तर बढ़ेगा।

पहली अप्रैल, 1998 से 30 नवम्बर, 1998 की अवधि के दौरान रोज़गार कार्यालयों द्वारा 9739 आवेदकों को लाभकारी रोज़गार मुहैया करवाये गये हैं, जिनमें 269 महिलाएँ हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा

सुदृढ़ औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के लिए विभिन्न औद्योगिक कारीगरियों में युवाओं का प्रशिक्षण नितान्त आवश्यक है।

मेरी सरकार द्वारा स्व-रोज़गार तथा उद्योगों में रोज़गार हेतु महिलाओं के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस समय 195 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक संस्थानों में से 35 संस्थान केवल महिलाओं के लिए हैं तथा शेष संस्थानों में भी सह-शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ महिला-प्रशिक्षणार्थियों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता।

वर्ष 1998-99 के दौरान 10 नये व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोले गये तथा इस प्रकार के 5 अन्य संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। इनके अतिरिक्त, बिटना (कालका), सढौरा तथा फतेहाबाद में 3 नए औद्योगिक संस्थान चालू करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान मेरी सरकार द्वारा सेवा-निवृत्त होने वाले सेना कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, अम्बाला छावनी में सेना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नामक एक अद्वितीय संस्थान खोलने में विशेष सहायता प्रदान की गई है।

तकनीकी शिक्षा

वर्ष 1999-2000 में 70 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें विश्व बैंक स्कीमें शामिल हैं। तीन राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों और चार सहायता-प्राप्त बहुतकनीकी संस्थानों का निर्माण-कार्य चल रहा है, जो मई, 1999 तक पूरा हो जाएगा। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर दिये गये हैं। राजकीय महिला पॉलिटैक्निक, फरीदाबाद में आमंत्रित कक्षाएं (गैस्ट क्लासें) आरम्भ कर दी गई हैं। वर्ष 1997-2002 की 9वीं योजना में जिला रिवाड़ी में धामलावास, कुरुक्षेत्र में उमरी, जीन्द में राजपुरा, पंचकूला में नानकपुर, भिवानी में लोहारू, यमुनानगर में सुध, कैथल में पथनावा, सिरसा में डबवाली और पानीपत में डाहर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार की सामुदायिक विकास स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए हरियाणा राज्य के 14 बहुतकनीकी संस्थानों को चुना गया है।

हमारे युवाओं की भावी जीवनयापन प्रणाली में सुधार लाने के लिए गैर-सरकारी महाविद्यालयों को नये इंजीनियरी एवं प्रबन्धन पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति दी गई है।

न्याय प्रशासन

चालू वर्ष के दौरान 687 व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई और 160 लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें 20,900 मामलों का फैसला किया गया। मोटर दुर्घटना के दावों के 1386 मामलों का निपटान किया गया, जिनमें 8.32 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुआवज़े के रूप में दी गई

[श्री अध्यक्ष]
है। आगामी वर्ष के दौरान 200 लोक अदालतें, 10 सह-कानूनी साक्षरता शिविर और 10 कानूनी सहायता कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है।

कर्मचारियों की भलाई

मेरी सरकार ने राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका तथा नागरिकों के प्रति उनकी सेवा को मान्यता प्रदान करते हुए भारत सरकार के अनुरूप पहली जनवरी, 1996 से कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया है। चालू वर्ष के दौरान मकान किराया भत्ते, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते, चिकित्सा भत्ते और यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है। मेरी सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली अवकाश नकदी-करण की अधिकतम सीमा 240 दिन से बढ़ा कर 300 दिन कर दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों और सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान, पेंशन, भत्ता, बोनस और महंगाई भत्ता किस्त के रूप में लगभग 1792 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दिया गया है। मेरी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के उपक्रमों तथा सहकारी संस्थानों के कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया है, जिस पर लगभग 143 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

माननीय सदस्यगण, यह मेरी सरकार के नीतिगत कार्यक्रमों की मुख्य रूपरेखा है। इन मुद्दों पर आपका चिन्तन तथा रचनात्मक परिचर्चा अवश्य ही राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा हरियाणा की जनता की समस्याएं हल करने में सहायक होगी। हम इस आशा के साथ 21वीं शताब्दी में प्रवेश की प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी सरकार का, अपनी जनता का कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूर्ण होगा।

जय हिन्द !

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now a Minister will make the obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले अधिवेशन के बाद और इस अधिवेशन के शुरू होने से पहले कई माननीय साथी इस संसार से चले गए हैं, उनके बारे में शोक प्रस्ताव इस प्रकार से हैं:-

चौधरी रिजक राम, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी रिजक राम के 8 अक्तूबर, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 7 जून, 1913 को हुआ। वह व्यवसाय से वकील थे। वह 1952 तथा 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1967, 1972 तथा 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह संयुक्त पंजाब तथा हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे। वह 1968 में राज्य सभा तथा 1983 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। वह अनेक शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री शेर सिंह, भूतपूर्व मंत्री हरियाणा

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री शेर सिंह के 10 दिसम्बर, 1998 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 अक्तूबर 1946 को हुआ। उन्होंने बी०ए०, एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा मंत्री बने। वह 1991 में दोबारा हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष तथा हरियाणा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सुशील चन्द मोहन्ता, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री सुशील चन्द मोहन्ता के 7 दिसम्बर, 1998 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 26 अप्रैल, 1929 को हुआ। वह व्यवसाय से वकील थे। उन्होंने सिरसा में वकालत शुरू की। वह 1977-79 के दौरान हरियाणा के महाधिवक्ता रहे। वह 1980 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये। वह दोबारा 1988-91 के दौरान हरियाणा के महाधिवक्ता रहे।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात अधिवक्ता तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री दीना नाथ अग्रवाल, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दीना नाथ अग्रवाल के 25 अगस्त, 1998 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म अप्रैल, 1916 में हुआ। उन्होंने एफ०ए० की डिग्री प्राप्त की। वह व्यवसाय से उद्योगपति थे। वह अनेक औद्योगिक संस्थाओं के प्रधान तथा महासचिव रहे। उन्होंने लुधियाना में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री तिलक राज चड्डा, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तिलक राज चड्डा के 12 दिसम्बर, 1998 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

[श्री बंसी लाल]

15.00 बजे उनका जन्म 14 दिसम्बर, 1914 को हुआ। उन्होंने अर्थ शास्त्र में एम०ए० की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन डी०ए०वी० कालेज, लाहौर से एक प्राध्यापक के रूप में शुरू किया। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया तथा कई बार जेल गये। वह 1945 से 1948 तक संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1956 में मुकुन्द लाल नैशनल कालेज, यमुनानगर में प्राध्यापक नियुक्त हुए तथा 1958 से 1979 तक इसके प्रिंसीपल रहे। वह जीवन के अन्तिम समय तक शिक्षा की प्रगति के लिए समर्पित रहे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद् तथा योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कर्नल होशियार सिंह, एक वीर सैनिक

यह सदन वीर सैनिक, कर्नल होशियार सिंह के 6 दिसम्बर, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

हरियाणा के इस बहादुर सपूत का जन्म 5 मई, 1936 को हुआ। वह भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुए तथा 1963 में कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई। 15 दिसम्बर, 1971 को कर्नल होशियार सिंह बसन्तर नदी के पार शकरगढ़ ग्रेनेडियर की लैफ्ट फॉरवर्ड कम्पनी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें शत्रु के जरपाल क्षेत्र पर कब्जा करने के आदेश दिये गये। आमने-सामने के जबरदस्त युद्ध में भारी बमबारी तथा दुश्मनों की मशीनगनों से होने वाली गोलाबारी की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ धावा बोल कर दुश्मन के इलाके पर कब्जा कर लिया। अगले दिन दुश्मन ने तीन बार जवाबी हमले किये। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने मोर्चों में तैनात जवानों के पास जाकर डटकर मुकाबला करने के लिए उनके हौंसले बुलन्द किये। इस प्रकार उन्होंने दुश्मन के पैर उखाड़ दिए। दुश्मन अपने कमान अधिकारी सहित 85 मृतकों को छोड़कर वापिस भाग गये। गंभीर रूप से घायल होते हुए भी उन्होंने युद्ध विराम होने तक अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। भारतीय सेना की गौरवमय परम्परा को कायम रखते हुए उन्होंने इस युद्ध में वीरता, अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट युद्ध-कौशल नेतृत्व प्रदान किया। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश एक वीर सैनिक तथा हरियाणा एक महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बलवान सिंह, एक वीर सैनिक

यह सदन वीर सैनिक श्री बलवान सिंह के 12 अक्तूबर, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 दिसम्बर, 1964 को हुआ। झज्जर में पढ़ाई करने के बाद वह 1984 में भारतीय सेना में शामिल हुए। उन्हें सेना में 14 वर्ष के सेवाकाल के दौरान दो बार सैन्य सेवा मैडल से

सम्मानित किया गया। वह देश कि एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता प्रदर्शित करते हुए जिला डोडा में आप्रेशन रक्षक-3 के तहत उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए।

उनके निधन से देश एक वीर तथा साहसी सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री चन्दू लाल, स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन स्वतन्त्रता सेनानी श्री चन्दू लाल के 3 जनवरी, 1999 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 17 अगस्त, 1909 को हुआ। वह व्यवसाय से इंजीनियर थे। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर वह हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बने। वह 1929 में रोहतक आ गये तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वह कई बार जेल गये। वह जीवन के अंतिम समय तक सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से व्यस्त रहे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक -संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के वन राज्य मंत्री, श्री जगदीश यादव की माता श्रीमती चम्पा देवी; हरियाणा से संसद सदस्य श्री राम चन्द्र बैन्दा की माता श्रीमती चावली देवी तथा हरियाणा से संसद सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह की माता श्रीमती चन्द्र प्रभा के हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

रेल, भू-स्खलन एवं भगदड़ दुर्घटना

यह सदन 26 नवम्बर, 1998 को पंजाब में खन्ना के नजदीक रेल दुर्घटना, 18 अगस्त, 1998 को जिला पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में भू-स्खलन और 14 जनवरी, 1999 को केरल के सबरीमाला में भू-स्खलन एवं भगदड़ में हुए लोगों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी, अच्छे शिक्षाविद् और देशभक्त इस संसार से चले गये हैं। चौधरी रिजक राम जी जो हरियाणा प्रदेश के राजनीतिज्ञों में उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ थे। वे इस सदन के सदस्य रहे, राज्य सभा और लोक सभा के भी सदस्य रहे और विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के सम्मान को जब चोट पहुंची तो उन्होंने भारी आर्थिक नुकसान उठाकर भी इस प्रदेश की इज़्ज़त बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। वे अच्छे वकील थे, अनुभवी राजनीतिज्ञ थे और कई शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे। इस प्रकार की विभूतियां आज हमारे बीच में नहीं हैं। यह सदन उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

इसी सदन के एक सदस्य श्री शेर सिंह जो मंत्री भी रहे और एक अच्छे वकील थे वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार श्री सुशील चंद मोहन्ता हरियाणा प्रदेश के ऐडवोकेट जनरल भी रहे। राज्यसभा में भी हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे। एक योग्य कानूनदान थे, एक अच्छे वकील भी थे और भारत सरकार की तरफ से यू०एन०ओ० में भी इस देश का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें अवसर मिला था। व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे अच्छे संबंध थे। वे बहुत योग्य सलाहकार भी थे व योग्य व्यक्ति थे। वे आज इस संसार में नहीं हैं। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार श्री दीना नाथ अग्रवाल संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने एफ०ए० की डिग्री प्राप्त की थी। वे बहुत बड़े व्यावसायी व उद्योगपति भी थे। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

श्री तिलक राज चड्ढा एक बहुत जुझारू किस्म के फ्रीडम फाइटर थे। 1942 के आंदोलन में श्री जयप्रकाश के अच्छे साथियों में से एक थे। सर्वप्रथम वे 1942 की लड़ाई में अरूणा आसिफ अली के साथ मेरे अपने गांव चौटाला गये थे। मुझे भी सबसे पहले 1942 में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे मुश्तरका पंजाब में विधान सभा के सदस्य भी रहे। देश जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि वे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद एक ऐसा अवसर आया था जब हम उन्हें हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधि बनाने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते थे लेकिन उसे भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। उनके निधन से देश एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद् की सेवाओं से वंचित हो गया है। यमुनानगर के शिक्षा संस्थान से जुड़ने के बाद तो शिक्षक ही नहीं परन्तु हर विद्यार्थी के मन में उनके प्रति बहुत आस्था थी। इस प्रकार की महान विभूतियां आज हमारे बीच में नहीं हैं। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

कर्नल होशियार सिंह जो हरियाणा प्रदेश की भूमि के एक गांव के रहने वाले थे ऐसे महान योद्धा इस प्रदेश व देश की मिट्टी में पैदा हुए। वे सोनीपत जिले के सिसाना गांव के रहने वाले थे उनकी कुर्बानी बेमिसाल है। मुझे उनकी 13वीं पर जाने का अवसर मिला। हरियाणा प्रदेश के समूचे लोगों की एक इच्छा है कि इस प्रकार की महान हस्तियों की यादगार में जिन्होंने प्रदेश के मान-सम्मान को बढ़ाया है उनकी याद में जरूर कोई स्मारक बनाया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार व सदन के सदस्यों को अनुरोध करता हूँ कि बलवान सिंह भी एक वीर सैनिक थे उन्होंने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन डोडा में आप्रेशन रक्षक 3 के तहत उग्रवादियों से लड़ते हुए किया और वे शहीद हो गये। इस वीर और साहसिक सैनिक से भी यह प्रदेश वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार श्री चन्दू लाल जी एक महान स्वतन्त्रता सेनानी थे और संयुक्त पंजाब में हमारे प्रदेश से उनका बहुत लगाव था आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन से देश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी

की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के एक साथी श्री जगदीश यादव आज माता के स्नेह से वंचित हो गये। आज उनकी माता इस संसार में नहीं है। मैं उनके प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से हमारे संसद सदस्य श्री राम चन्द्र बैन्दा की माता श्रीमती चावली देवी जोकि इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, उनके निधन पर भी मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे एक और संसद सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह की माता श्रीमती चन्द्र प्रभा के दुखःद निधन पर भी मैं शोक प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी दौरान में श्री किशन सिंह सांगवान, संसद सदस्य के पिता श्री सूरजमल का भी निधन हो गया है लेकिन उनका नाम इन शोक प्रस्तावों में शामिल नहीं है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनका नाम भी इस सूची में शामिल कर लिया जाए।

श्री बंसीलाल : ठीक है, उनका नाम भी शोक प्रस्तावों की सूची में शामिल कर लिया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इसी प्रकार से श्री बाबूराम जोकि गांव धनाना के रहने वाले थे और वे एशियाड खेलों के गोल्डमैडेलिस्ट थे, वह भी आज इस संसार में नहीं हैं। इस प्रकार के सम्मानित सदस्यों के नाम भी जो इस संसार से चले गये हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जायें। अध्यक्ष महोदय, कई और भी ऐसी दुर्घटनाएं इस दौरान घटी हैं, विशेष रूप से रेल दुर्घटना, भू-स्खलन और भगदड़ दुर्घटनाएं। 26 नवम्बर, 1998 को पंजाब में खन्ना के नजदीक रेल दुर्घटना, 18 अगस्त, 1998 को जिला पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में भू-स्खलन और 14 जनवरी, 1999 को केरल के सबरीमाला में भू-स्खलन एवं भगदड़ में हुए लोगों के दुखद निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र के मेजर नितिन बाली, जिनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी तथा जो अपने पिता के इकलौते बेटे थे, सियाचिन में लड़ाई लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए हैं इसी तरह से लै० अतुल कटारिया हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके नाम भी शोक-प्रस्ताव सूची में जोड़ दिये जाएं।

श्री बंसी लाल : ठीक है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में आस्ट्रेलिया के इसाई मिशनरी व उनके दो बेटों की निर्मम हत्या हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनका नाम भी शोक-प्रस्ताव-सूची में जोड़ लिया जाए। यह सदन उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता है।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक परम्परा के अनुसार सदन के नेता ने जो शोक-प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखे हैं, उनमें शामिल होने के लिए मैं अपने दल की तरफ से बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। इन शोक प्रस्तावों की सूची को देखने से मालूम होता है कि पिछले सत्र के उठ जाने के बाद और इस सत्र के शुरु होने के समय के बीच में बड़े-बड़े लोग जिनमें वकील भी थे, उद्योगपति भी थे और शिक्षाविद् भी थे, हमारे बीच से चले गये हैं। यह तो अटल सत्य है कि जो इस संसार में आया है, उसे एक दिन इस संसार से जाना तो है ही, चाहे वह राजा हो, रंक हो या कोई भी क्यों न हो। यह बड़ी दुःखदायी कहानी है तथा इसके लिए हम सब को संतोष करना पड़ता है कि जीवन का कुछ पता नहीं है, किसी भी समय इसका अंत हो सकता है। इसलिए हमें जो भी समय मिले उस में इन्सानियत के धर्म को निभाने का प्रति-क्षण ध्यान रखना चाहिए।

[श्रीमती करतार देवी]

अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जो जिला रोहतक के प्रसिद्ध वकील, सांसद एवं एक बहुत ही सुयोग्य राजनेता थे। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनैतिक जीवन-काल में उनको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था वे अपनी करनी और कथनी में समानता रखते थे। मैं उनके शोक-संतप्त परिवार को उनके निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि वे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, श्री शेर सिंह, भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा, बहुत थोड़ी उम्र में ही हमारे बीच में से चले गये। वे अपने परिवार के लिए एक ऐसी किरण थे जिनके ऊपर उनके परिवार के सदस्य चारों ओर से निर्भर थे तथा महसूस करते थे कि वे ही उनको आगे ले जाएंगे। वे बिल्कुल स्पष्टवादी और निडर थे तथा अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में वे भला-बुरा बनने में भी गुरेज नहीं करते थे। उनकी असामयिक मृत्यु पर मैं अपने दल की तरफ से हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा भगवान् से प्रार्थना करती हूँ कि वे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, श्री सुशील चन्द मोहन्ता, भूतपूर्व संसद सदस्य, जो दो बार महाधिवक्ता भी रहे और विपक्ष के नेता ने उनके बारे में चर्चा करते हुए भी बताया कि उन्होंने यू०एन०ओ० में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच में से चले जाना एक बहुत ही दु:खद घटना है जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। उनके दु:खद निधन पर यह सदन गहरी संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री दीना नाथ अग्रवाल, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य जो एक बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने लुधियाना में कपड़ा उद्योग चलाने का अपना सपना साकार करने के लिए बहुत मेहनत की। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री तिलक राज चड्डा, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, जो मौलिक तौर पर एक शिक्षाविद् रहे हैं, हमारे बीच से चले गये हैं। यमुनानगर मुकुन्द लाल नेशनल कॉलेज में उन्होंने जो काम किया है, उसकी वजह से न केवल शिक्षाविद् उनका आदर करते हैं बल्कि वहां के विद्यार्थी और वहां की जनता भी उनके प्रति अपना आदर-भाव रखती है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई बार जेल गए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए नौजवानों को सही राह दिखाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया तथा उनका आदर्श जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक है। उनके निधन से यह देश एक स्वतंत्रता सैनानी, प्रख्यात शिक्षाविद् तथा योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कर्नल होशियार सिंह ने देश की सेनाओं में रहकर अपने अदम्य साहस का परिचय देकर हमारा और अपने देश का नाम रोशन किया। भाई बलवान सिंह भी एक कर्मठ सैनानी थे, वे डोडा में उग्रवादियों की गोली का शिकार हो गये। मैं इस भारत माता के उस वीर सपूत को भी श्रद्धांजली देती हूँ जरूर ऐसे व्यक्तियों की यादगार में विशेषतौर से कर्नल होशियार सिंह जैसे वीरों की यादगार में हमें कुछ बनाना चाहिए ताकि सदा हमें उनकी याद आती रहे। मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगी कि वे ऐसे वीरों की याद में कुछ बनवायें ताकि औरों के लिए वे प्रेरणा के स्रोत बनें।

मैं श्री चंदू लाल, स्वतंत्रता सेनानी को भी श्रद्धांजली देती हूं, श्री चंदू लाल जी अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते थे वास्तव में वे पूर्णतः राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और वे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य भी रहे। मैं उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ।

मैं श्री जगदीश यादव की माता चम्पा देवी, श्री राम चन्द्र बैन्दा की माता श्रीमती चावली देवी तथा संसद सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह की माता श्रीमती चन्द्र प्रभा के हुए दुःखद निधन पर शोक प्रकट करती हूं। साथ ही साथ श्री किशन सिंह सांगवान के पिता श्री सूरजमल के निधन पर भी शोक प्रकट करती हूं और इसके साथ-साथ पंजाब में खन्ना के नज़दीक रेल दुर्घटना, जिला पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में भू-स्खलन और सबरी माला में भू-स्खलन एवं भगदड़ में हुए लोगों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूँ। मैं उड़ीसा में आस्ट्रेलिया के मिशनरी और उसके दो बच्चों की जो निर्मम हत्या की गई है उसके प्रति भी गहरा शोक व्यक्त करती हूं और सदन के नेता से आग्रह करती हूं कि इन हत्याओं को इस शोक प्रस्ताव में शामिल किया जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस प्रस्ताव में अपने दल की तरफ से सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसमें शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूँ। चौधरी रिजक राम जी हरियाणा की राजनीति के वरिष्ठ नेता थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ठीक कहा कि वे हमेशा हरियाणा के हितों के बारे में सोचते थे। हरियाणा के हितों की जब बात आई तो उन्होंने राज्य सभा से त्याग पत्र दे दिया था। इस महान सदन में वे कई बार सदस्य रहे, सिंचाई मंत्री रहे। यदि उनको रोहतक और सोनीपत जिले की राजनीति का भीष्मपिता-मह कहा जाये तो गलत नहीं होगा। वे बड़े ही मृदुभाषी और बड़े ही व्यावहारिक व्यक्ति थे। वे गांवों और खेती से जुड़े हुए राजनेता थे। उनके निधन से हरियाणा के पुराने राजनेताओं को अकेलापन महसूस होगा। मैं उनको अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

श्री शेर सिंह जी एक बार मुलाना से विधायक रहे और एक बार सढ़ौरा से रहे, इस सदन में उनके साथ बैठने का सौभाग्य मुझे भी मिला लेकिन छोटी सी उमर में उनका निधन हो गया इसका मुझे बड़ा दुख है।

श्री सुशील चन्द मोहन्ता राज्य सभा के सदस्य रहे, उन्होंने यू०एन०ओ० में भारत का प्रतिनिधित्व
16.00 बजे किया और वे पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के काबिल वकील थे। एमरजैंसी के समय वे हमारे साथ जेलों में रहे। उनके निधन से हमें बड़ा भारी आघात पहुंचा है।

श्री दीना नाथ अग्रवाल और श्री तिलक राज चड्डा स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके निधन से हमें आघात पहुंचा है। उस समय के हर स्वतंत्रता सेनानी पर हमें गर्व है। स्पीकर साहब, उस समय राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए योगदान की एक होड़ लगी थी। उस समय हर एक ने राजनीति में थोड़ा बहुत योगदान दिया चाहे वे किसी भी दल में रहा, उस समय श्री तिलक राज चड्डा ने उस पीढ़ी को रीप्रिजैंट किया जिस पीढ़ी ने देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। चौधरी नेकी राम स्वतंत्रता सेनानी और श्री तिलक राज चड्डा ने उस समय अपने अलग-अलग समय में लोक सभा

[श्री राम बिलास शर्मा]
की टिकट और राज्य सभा की सदस्यता के बारे में यह कहा था कि अगर हमने लोक सभा की टिकट और राज्य सभा की सदस्यता स्वीकार की तो जो हमने स्वतंत्रता के समय लड़ाई लड़ी थी वह हमारी आत्मा की संतुष्टी के लिए हमारे पास पूंजी है, वह हम नहीं खोना चाहते उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। स्पीकर साहब, भारत की रखवाली करने वाली सेना पर हमें फख्र है। चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे पानीपत हो और चाहे दिल्ली के चारों तरफ हो यहां के नौजवानों ने लगातार देश की एकता-अखण्डता के लिए बलिदान दिए हैं। उनमें से कर्नल होशियार सिंह और बलवान सिंह भी एक कड़ी थे। इसी तरह से इसमें एक नाम लैफ्टीनैंट अतुल कटारिया का भी शामिल कर लिया जाए। यह बहादुर सैनिक गुड़गांव का रहने वाला था। इस बहादुर सैनिक ने श्रीनगर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए दुश्मनों से दो चार होते हुए देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना बलिदान दे दिया। मुझे और कर्ण सिंह दलाल तथा बीरेन्द्र सिंह जी और दूसरे कई साथियों को उनकी शोक सभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस शोक सभा में उनकी कम्पनी का एक आदमी आया हुआ था। उस आदमी ने उस समय यह बताया कि इस लड़के को रात के 12 बजे वहां जाने से मना किया था लेकिन इस बहादुर ने उस समय यह कहा कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है और 100 आतंकवादी जिनके खिलाफ लड़ने के लिए जाने से लोग डरते थे उसने अपने एक अर्दली को अपने साथ ले कर वहां जाने का फैसला किया। अर्दली की जान किसी तरह बची रहे उसने उसको कहा कि मेरी आवाज तक तू यहां से हिलेगा नहीं उसको सुरक्षित जगह एक झाड़ी में बैठा करके खुद अकेला उन आतंकवादियों के खिलाफ कूदा और उसने उन में से 10 आतंकवादियों की जान ले कर अपने प्राण दिए। ऐसे बहादुरों पर हमें गर्व है। इसी तरह से चन्दु लाल स्वतंत्रता सेनानी थे उनके निधन से भी हमें बड़ा भारी आघात पहुंचा है। इसी तरह से चौटाला साहब ने कहा कि नितिन वाली ने भी श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राण दिए हैं उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लेते हैं। स्पीकर साहब, श्रीनगर से अमरनाथ जाने के लिए कोई तीर्थ यात्री जा नहीं सकता था लेकिन इन्हीं बलिदानों के कारण इस बार लगभग डेढ़ लाख तीर्थ यात्री अमरनाथ गए थे। यह भी हमारे बहादुर सैनिकों की कुर्बानी का कमाल है।

इसी तरह से स्पीकर साहब, हरियाणा के वन राज्य मंत्री श्री जगदीश यादव की माता श्रीमति चम्पा देवी, हरियाणा से संसद सदस्य श्री राम चन्द्र बैंदा की माता श्रीमति चावली देवी और हरियाणा के संसद सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह की माता श्रीमति चन्द्र प्रभा के दुखद निधन पर तथा हमारे संसद सदस्य श्री किशन सिंह सांगवान के पिता श्री सूरजमल के दुखद निधन पर हमें बड़ा भारी दुख है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन सभी महानुभावों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से रेल, भू-स्खलन और भगदड़ दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हम अपनी ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। स्पीकर साहब, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूं। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में हमारे से कुछ बहुत बड़े राजनेता, कुछ विद्वान, कुछ बीर सैनिक और कुछ दूसरे व्यक्ति बिछड़ गए हैं। यह तो प्रकृति का नियम है कि जो इस संसार में आता है उसको एक दिन जाना है लेकिन इनमें से कुछ असामयिक मौतें बड़ी दुःखदायी हैं।

चौधरी रिज़क राम जी हरियाणा की राजनीति में एक प्रेरणा स्रोत थे। उनका एक लम्बा राजनीतिक जीवन और शिक्षाप्रद जीवन था। उनका जीवन हमें यह बताता है कि किस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर हरियाणा और देश के हित की भावना उनमें थी। वे कई बार इस सदन के सदस्य रहे। इसी प्रकार से वे राज्य सभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे। उनकी मृत्यु से हम एक अच्छे प्रशासक व अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति दे।

श्री शेर सिंह जी पिछले सदन में हमारे साथी थे। इससे पहले भी वे एक बार इस सदन के सदस्य रह चुके थे। वे केवल 50-52 की उम्र में ही इस संसार से चले गए। वे एक गरीब परिवार से सम्बिधत थे तथा संघर्ष करते हुए राजनीति में यहां तक पहुंचे। उन्होंने एक संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। मैं इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री सुशील चन्द मोहन्ता भूतपूर्व सांसद थे। उन्हें दो बार इस प्रदेश का एडवोकेट जनरल रहने का अवसर मिला। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से प्रदेश एक प्रख्यात वकील और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दे।

श्री दीनानाथ अग्रवाल संयुक्त पंजाब के सदस्य थे। वे एक महान उद्योगपति भी थे। उनके निधन से हमें दुःख है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री तिलकराज चड्ढा जी एक महान उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे। उनके चले जाने से हमें आघात पहुंचा है। हम एक महान शिक्षा विद् की सेवाओं से वंचित हो गए हैं। यह सदन दिवंगत की आत्मा की शांति की कामना करता है कि भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

कर्नल होशियार सिंह हरियाणा के वीर सैनिकों की कड़ी में एक वीर सैनिक थे। उन्होंने हर प्रकार से बहादुरी के साथ काम करते हुए अपना काम किया जिस कारण उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह इस बात का द्योतक है कि वे एक उच्च कोटि के वीर सैनिक थे। उनके निधन से देश एक वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

श्री बलबान सिंह भी इसी कड़ी के एक वीर सैनिक थे। वे मात्र 34 साल की उम्र में ही देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जिस प्रकार उन्होंने अपना बलिदान किया उससे ऐसे वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस महान दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री चन्दू लाल जी एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। यह सदन शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इस सदन के माननीय सदस्य व मंत्री श्री जगदीश यादव की माता श्रीमती चम्पा देवी, हरियाणा के संसद सदस्य श्री रामचन्द्र बैन्दा की माता श्रीमती चावली देवी, राव इन्द्रजीत सिंह, संसद सदस्य की माता श्रीमती चन्द्र प्रभा, हरियाणा के संसद सदस्य श्री किशन सिंह सांगवान के पिता श्री सूरजमल जी के निधन पर शोक प्रकट करता है।

[श्री अध्यक्ष]

इन सब दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से रेल, भू-स्खलन एवं भगदड़ दुर्घटना में जिन निर्दोष व्यक्तियों, बाल एवं वृद्धों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है उन दिवंगत आत्माओं के प्रति यह सदन शोक व्यक्त करता है। परमपिता परमेश्वर इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों को सदन द्वारा प्रकट की गई संवेदना पहुंचा दूंगा। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़े होने का अनुरोध करता हूं।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया)

घोषणाएं -

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा -

(i) चेयरपर्सनज़ के नामों की सूची :

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons :-

1. Shri Narpender Singh
2. Shri Ramesh Kashyap
3. Shri Bijender Singh Kadyan
4. Shri Balwant Singh Maina

(ii) याचिका समिति :

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

1.	Shri Faqir Chand Aggarwal, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2.	Shri Narpender Singh	Member
3.	Shri Somvir Singh	"
4.	Shri Anand Kumar Sharma	"
5.	Shri Siri Kishan Hooda	"

(ख) सचिव द्वारा -

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गये बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make announcement.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने नवम्बर, 1996 तथा जुलाई, 1998 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज़ पर रखता हूँ।

Statement

November Session, 1996

*1. The Haryana Lokpal Bill, 1996.

July Session, 1998

1. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1998.
2. The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 1998
3. The Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Bill, 1998.
4. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1998.
5. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1998.
6. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1998.
7. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1998.
8. The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 1998.
9. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1998.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Minister of State for Parliamentary Affairs will move the motion under Rule 121 for suspension of rule 30.

Minister of State for Public Relations. (Sh. Attar Singh Saini) :

Sir, I beg to move -

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 28th January, 1999.

Sir, I also move -

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 28th January, 1999.

Mr. Speaker : Motion moved -

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 28th January, 1999.
>
> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 28th January, 1999.

Mr. Speaker : Question is -

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 28th January, 1999.
>
> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 28th January, 1999.

The motion was carried.

बिज़नैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Commitee —

The Committee met at 11.00 A.M. on Thursday, the 28th January, 1999 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shall meet on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Fridays at 10.00 A.M. and adjourn at 2.00 P.M. without question being put.

However, on Thursday, the 28th January, 1999 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the list of Business for the day.

The Committee also recommends that on Friday, the 12th February, 1999 the Assembly shall meet at 10.00 A.M. and adjourn after conclusion of the Business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the Business on 28th, 29th January, 1999, 1st February to 5th February, 1999, 8th

February to 10th February, 1999 and 12th February, 1999, be transacted by the Sabha as under :—

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the 28th January, 1999	1. Laying of a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References. 3. Motion under Rule 121 for the Suspension of Rule 30. 4. Presentation and adoption of first Report of Business Advisory Committee. 5. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 6. Presentation of the Preliminary Report of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
Friday, the 29th January, 1999 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Discussion on Governor's Address.
Saturday, the 30th January, 1999	Off-day.
Sunday, the 31st January, 1999	Holiday
Monday, the 1st February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Governor's Address.
Tuesday, the 2nd February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks. 3. Presentation of supplementary Estimates for the year 1998-99 and the Report of the Estimates Committee thereon. 4. Official Resolution, if any.

[Mr. Speaker]

Wednesday, the 3rd February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Budget Estimates for the year 1999-2000.
Thursday, the 4th February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Private Members Business.
Friday, the 5th February, 1999 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Papers to be laid, if any. 3. General discussion on Budget Estimates for the year 1999-2000.
Saturday, the 6th February, 1999	Off-day.
Sunday, the 7th February, 1999	Holiday.
Monday, the 8th February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1999-2000.
Tuesday, the 9th February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1999-2000 and reply by the Finance Minister.
Wednesday, the 10th February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Presenatation of Assembly Committees Report. 3. Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 1998-99. 4. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 1999-2000. 5. Legislative Business.
Thursday, the 11th February, 1999	Holiday.
Friday, the 12th February, 1999 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour.

2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting.
3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
4. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
5. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 1998-99.
6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1999-2000.
7. Legislative Business.
8. Any other Business."

Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर सर, इसमें अगर कोई ओफिशियल रेज़ोलूशन हो, अगर हमें एक आध दिन पहले पता लग जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, जो आप कहना चाह रहे हैं, वह तो पहले आ गया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो डिसकशन एण्ड वोटिंग ऑन डिमांड्स फोर ग्रान्ट्स एवं डिसकशन एंड वोटिंग ऑन सप्लीमैन्ट्री हैं, इसके लिये आपने एक ही दिन रख दिया। सर, ग्रान्ट्स तो इतना लम्बा-चौड़ा सब्जैक्ट है कि इसके लिये यदि आप थोड़ा समय देंगे तो मैं समझता हूं कि न तो मैम्बर्ज इसके बारे में अपनी बात कह सकेंगे और न ही वे डिपार्टमैन्ट वाईज डिटेल एवं उनकी कार्यशैली की कमियां बता पायेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इसके लिये पूरा समय दें क्योंकि एक दिन का समय बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लैजिसलेटिव बिजनैस है वह बी०ए०सी० की रिपोर्ट में 10 और 12 तारीख में फिक्स किया गया है। पहले भी हाऊस में लैजिसलेटिव बिजनैस के बारे में कई बार चर्चा हुई है लेकिन अब तो यह एक प्रथा सी बन

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

गयी है कि दिन के दिन ही हमारे को सारा बिजनैस दिया जाता है इसलिए इतने थोड़े समय में इनको पढ़ नहीं पाते हैं। हम सब मैम्बर्ज को इनको पढ़ने में बहुत समय लगता है इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अगर कोई अमैंडमैंट्स के लिए नया बिल हो तो उसके लिए हमें कम से कम चार दिन का समय पहले दिया जाना चाहिए।

लोक निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर सर, बीरेन्द्र सिंह जी ने जो सप्लीमैंट्री डिमांडज के बारे में कहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि प्रथा तो अब तक यही रही है कि बजट की डिमांडज के साथ ही सप्लीमैंट्री डिमांडज पर चर्चा हो जाती है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, सप्लीमैंट्री डिमांडज तो पिछले साल की हैं लेकिन अगर उसी दिन बजट की डिमांडज पर भी चर्चा हो तो कैसे मैम्बर्ज उस पर अपने विचार रख सकते हैं क्योंकि इससे मैम्बर्ज कंफ्यूज हो जाते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री डिमांडज तो पिछले वर्ष की होती हैं इसलिए इन पर अलग से डिसकशन नहीं होती है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : जब जनरल बजट पर डिसकशन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो हर डिपार्टमैंट्स की सैकेंड रीडिंग डिमांडज की है उसके लिए ज्यादा समय निर्धारित नहीं किया गया है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर डिसकशन के लिए अलग से समय दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री मनीराम गोदारा) : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वह आपके समाने है। अगर ये उस वक्त उस कमेटी की मीटिंग में आ जाते तो they could have made their suggestions. Now there is no question of amendment. They were represented in that Committee. हर पार्टी उस कमेटी की मीटिंग में अपना रिप्रैजंटेटिव भेजती है इसलिए उस कमेटी की मीटिंग में जो फैसला हो गया, सो हो गया। They were represented in that Committee and they were supposed to attend that meeting. But they did not attend it. अब इनकी यह क्या बात हुई। उस कमेटी ने जो फैसला दे दिया, सो दे दिया।

श्री सम्पत सिंह : (फतेहाबाद) : स्पीकर सर, इनकी एक बात पर मुझे ऐतराज है। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वह मैनडेटरी नहीं होती इस रिपोर्ट को बाकायदा हाऊस में रखा जाता है और हाऊस में बाकायदा इस रिपोर्ट पर डिसकशन भी होती है। डिसकशन के समय ही इस रिपोर्ट के बारे में सुझाव दिए जाते हैं और बाद में इसमें अमैंडमैन्ट्स भी होती हैं। सरकार ने कई बार इस रिपोर्ट के बारे में मैम्बर्ज के सुझाव को पहले माना भी है इसलिए अब गोदारा साहब का यह कह देना कि उस कमेटी ने जो फैसला दे दिया सो दे दिया, ठीक बात नहीं है। सर, यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ऐसी बात करना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, यह उसी प्रजातंत्र की प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें आप रहे हैं। Your party has been represented.

श्री सम्पत सिंह : सर, इन्होंने यह कैसे कह दिया कि जो फैसला हो गया, सो हो गया ? ऐसा नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, गोदारा साहब का कहने का मतलब यह था कि आपकी पार्टी का रिप्रिजंटेटिव उस कमेटी की मीटिंग में नहीं आया। अगर आपका कोई रिप्रिजंटेटिव उस कमेटी की मीटिंग में आ जाता, तो वह अपने सुझाव उस वक्त दे सकता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल सांगवान : सर, ये प्रजातंत्र की तो बात कह ही नहीं सकते। (शोर एवं व्यवधान) इनकी पार्टी के मैम्बर्ज बिजनैस ऐडवाइज़री की मीटिंग में तो जाते नहीं हैं और अब ये यहां पर उसकी रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं। ये कमेटी की मीटिंग में जाते हुए तो शर्माते हैं।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, क्या सांगवान साहब की ड्यूटी यही है कि जब हम कुछ बोलने के लिए खड़े हों तो हमारे साथ ही ये भी बोलने के लिए खड़े हो जाएं। स्पीकर सर, बी०ए०सी० की रिपोर्ट के बारे में मैं दो तीन सुझाव आपको देना चाहता हूं। सरकार मेरे इन सुझावों को माने या न माने यह उनकी मर्जी है क्योंकि उनकी पार्टी मैजोरिटी में है। हम तो केवल सरकार को राय ही दे सकते हैं। स्पीकर सर, गवर्नर एड्रैस और बजट दोनों ही साल की अहम बातें होती हैं। गवर्नर एड्रैस गवर्नमेंट की पौलिसी स्टेटमैन्ट होती है। गवर्नर एड्रैस और बजट पर डिसकशन के लिए बी०ए०सी० की रिपोर्ट में केवल दो-दो दिन ही फिक्स किए गए हैं जोकि कम हैं। दूसरे दिन तो सरकार की तरफ से इनका रिप्लाई दिया जाएगा। उस दिन जब मैम्बर्ज बोलने के लिए आपसे कहेंगे तो उस समय कह दिया जाएगा कि इन दोनों आईटम्ज़ पर डिसकशन करते हुए दो दिन हो गए इसलिए अब सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा। मेरा कहना यह है कि इसी तरह बजट पर फाइनैंस मिनिस्टर ने रिप्लाई देनी होगी, उस पर भी चर्चा के लिए दो दिन का समय रखा है। मेरा कहना है कि इसके लिए एक-एक दिन का समय और बढ़ाया जाए और इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। इतना ज्यादा हैवी शिडयूल है जैसे 10 फरवरी को सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स पर डिसकशन है बजट की डिमांड भी उसी दिन रख दीं और मेरे साथी मंत्री महोदय श्री कर्ण सिंह दलाल ने कह दिया कि सप्लीमैंट्री डिमांड तो रस्मी होती है यह पहले का खर्च किया होता है तो पहले का मतलब यह नहीं है कि कोई बहुत पुराना किया हुआ खर्च है यह तो जो साल गया है उसका जो बजट था उससे फालतू खर्च हुआ है और उसके लिए सप्लीमैंट्री डिमांड आई है। उसकी इजाजत देना का काम हाउस का है उसको रस्मी नहीं माना जाएगा। या तो यह हो कि जो करने वाले लोग हों वे चले गए हों और उसके लिए अकाउंटेबलिटी किसकी फिक्स करें तब तो यह बात ठीक है। लेकिन यह खर्चा तो पिछले साल का है इसलिए मेरा निवेदन है सप्लीमैंट्री डिमांड्स के लिए अलग से दिन फिक्स हो। बजट तो जनरल बजट है उसकी डिमांड तो बाकायदा पर्टिकुलर डिमांड होती है। आप आज हाउस के स्पीकर हैं उससे पहले आप विपक्ष में बैठते थे तो आप भी यही कहते थे कि डिमांड को एक दिन में पास कर दिया जाएगा तो बोलने का समय कैसे मिलेगा। कई मैम्बर बोलने से छूट जाते हैं तो उन्हें डिमांड पर बोलने का मौका मिल जाता है। डिमांड पर माइक्रो डिसकशन होती है। उसी दिन लेजिस्लेटिव बिजनैस रख दिया है और एक घंटे का क्वैशचन ऑवर हो गया। मुश्किल से दो घंटे मिलेंगे और उसी में 3-3 बिजनैस ट्रांजैक्ट करने जा रहे हैं। अगर इन तीनों के लिए एक-एक दिन का समय बढ़ाया जाए तो टोटल 4 दिन का समय कर दिया जाए तो कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी डर क्यों रहे हैं चार दिन का समय बढ़ा दिया जाए यह मेरी अपील है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है लेकिन सन् 1986 से अपटू 1999 का रिकार्ड मेरे सामने पड़ा है। डिमांड पर एक दिन से फालतू कभी भी डिसकशन नहीं हुई है, **this is for your kind information.** इसमें सप्लीमैंट्री डिमांड भी आ गई और सारी बात आ गई।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरी सबमीशन है कि हैल्दी ट्रेडीशन आप कभी भी डाल सकते हैं। कल कत्ल हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आज भी होगा। आप पहले की बात कह रहे हैं तो पहले तो ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में बजट पांच मिनट में पास हुआ है। फिर तो आप कह देंगे कि पहले की तरह इस बार भी हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमीशन को आपने भी ऐप्रीशिएट किया है और यदि स्पीकर ऐप्रीशिएट करें तो हाउस के लीडर भी ऐप्रीशिएट करते हैं। उम्मीद है कि मेरी सबमीशन को वे भी ऐप्रीशिएट करेंगे।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, आपने जो बात कही है उसके एक-एक शब्द से मैं ऐग्री करता हूं लेकिन सवाल इस चीज का है कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी किस लिए होती है This is for the working of the House. उस मीटिंग में इनके प्रतिनिधि आकर यदि इसी ईशू को उठाते तो उसमें कोई मुश्किल नहीं थी। सवाल इस चीज का है कि इन पर जो जिम्मेदारी डाली जाती है उस जिम्मेदारी को लेने को तो तैयार नहीं होते और यहां * दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर व व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह अनपार्लियामैंटरी शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, जो चौधरी सम्पत सिंह जी ने पिक्चर प्रस्तुत करने की कोशिश की है वह सही नहीं है। सही पिक्चर तो यह है कि 29 जनवरी को गवर्नर साहब के एड्रैस पर डिसकशन होगा, पहली फरवरी को गवर्नर साहब के एड्रैस पर डिसकशन होगा फिर दो फरवरी को गवर्नर साहब के एड्रैस पर डिसकशन होगा और इसी तरह से पांच, आठ और नौ फरवरी को बजट पर डिसकशन होगा।

श्री सम्पत सिंह : तीसरे दिन तो रिप्लाई है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि यह रिप्लाई है तो इस सदन के और सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है सिर्फ ये ही बोलना नहीं जानते हमें भी बोलना आता है। हम भी तो कुछ टाईम लेंगे। आप कहते हैं कि एक-एक दिन और बढ़ाओ तो यह तो तीन दिन और हो गये क्योंकि गवर्नर साहब के एड्रैस पर तीन दिन डिसकशन होना है और जनरल बजट पर भी तीन दिन डिसकशन होना है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी सम्पत सिंह जी, जनरल बजट पर और गवर्नर साहब के एड्रैस पर पिछले साल और उससे पिछले साल जो समय सदस्यों को बोलने के लिए मिला है उतना समय आज तक के समय में सबसे ज्यादा है। उसमें कोई कमी नहीं होगी आप तब बोल लेना।

Now question is—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now a Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to re-lay on the table—

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 56/Const./Art. 320/97, dated the 31st July, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 86/Const./Art. 320/Amd. (3)/97, dated the 17th November, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 100/H.A. 20/73/S.64/97, dated the 17th December, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 101/H.A. 20/73/S.64/97, dated the 18th December, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Sixth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 17/H.A. 20/73/S.64/98, dated the 10th March, 1998 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1998 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I also beg to lay on the Table —

The General Administraion Department (Political Branch) Notification No. G.S.R. 85/H.A.3/1970/S.9/98, dated the 31st July, 1998 regarding the Haryana Ministers Allowances (Amendment) Rules, 1998 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The General Administraion Department (Political Branch) Notification No. G.S.R. 86/H.A.3/1975/S.8/98, dated the 31st July, 1998 regarding the Haryana Legislative Assembly, Speaker's and Deputy Speaker's Allowance (Amendment) Rules, 1998 as required under Section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly, Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

[Shri Attar Singh Saini]

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 104/Const./Art. 320/Amd. (1)/98, dated the 25th September, 1998 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1998 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 93/H.A. 20/73/S.64/98, dated the 24th August, 1998 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1998 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Power Department Notification No. S.O. 106/H.A. 10/98/S/23, 24, 25/98, dated the 14th August, 1998, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 111/H.A. 10/98/S.55/98, dated the 16th August, 1998, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The 30th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1996-97 as required under Section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1994-95 as required under Section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1995-96 as required under Section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Village Industries Board for the years 1994-95 and 1995-96 as required under Section 19A(3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 30th Annual Report of the Haryana State Small Industries & Export Corporation Limited for the year 1996-97 as required under Section 619-A(3) of the Compaines Act, 1956.

The Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution for the year 1992-93 as required under Section 39(2) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution for the year 1993-94 as required under Section 39(2) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution for the year 1994-95 as required under Section 39(2) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री भजन लाल, भूतपूर्व, एम०एल०ए० के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Narpender Singh, M.L.A. Chairperson, Privileges Committee will present the Fourth Preliminary Report of the Committee on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against Shri Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) and Former Leader of the Congress Legislative Party, who made a press statement in the Press lobby/lounge in the Haryana Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22.11.1996.

Chairperson, Privileges Committee (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shir Jagan Nath, Minister against Shri Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) and Former Leader of the Congress Legislative party, who made a press statement in the press lobby/lounge in the Hayrana Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22.11.1996.

Sir, I also beg to move —

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is —

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) इंडियन एक्सप्रैस के संवाददाता, सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Narpender Singh, Chairperson, Committee of Privileges will present the Fourth Preliminary Report of the Committee, on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express for publishing the statement of Shri Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) containing derogatory remarks which cast serious aspesions on the impartiality, character and conduct of the Chair in discharge of his parliamentary duties on the floor of the House as this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public, in the issue of Indian Express dated 22.11.1996.

Chairperson, Privileges Committee (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister, against the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express for publishing the statement of Shri Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) containing derogatory remarks which cast serious aspersions on the impartiality character and conduct of the Chair in discharge of his Parliamentary duties on the floor of the House as this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public, in the issue of Indian Express dated 22.11.1996.

Sir, I also beg to move —

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is —

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carred.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 10.00 A.M. tomorrow.

*16.45 Hrs. (The House then *adjourned till 10.00 A.M. on Friday, the 29th January, 1999).